

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
मांग संख्या 13
औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2002-2003			संशोधित 2002-2003			बजट 2003-2004		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व पूंजी जोड़	280.00	86.74	366.74	280.00	85.91	365.91	280.00	103.58	383.58

	280.00	86.74	366.74	280.00	85.91	365.91	280.00	103.58	383.58
1. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	3451	1.00	18.77	1.00	18.13	19.13	0.50	18.90	19.40
उद्योग									
2. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद	2852	6.00	3.42	4.00	3.42	7.42	2.50	3.10	5.60
3. राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान	2852	10.20	0.72	10.92	10.20	0.72	10.92	8.00	0.60
4. भारतीय गुणवत्ता परिषद	2852	0.25	...	0.25	0.25	...	0.01	...	0.01
5. आटोमोटिव उद्योग का अनुसंधान एवं विकास	2852	5.00	...	5.00	3.00	...	3.00	4.00	...
6. अन्य कार्यक्रम	2852	...	0.15	0.15	...	0.15	0.15
7. एशियाई उत्पादकता संगठन	2852	...	4.15	4.15	...	4.06	4.06	...	4.60
अन्य प्रशासनिक सेवाएं									
8. विस्फोटक पदार्थ संगठन	2070	3.50	9.47	12.97	3.50	9.47	12.97	3.95	10.93
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं									
9. पेटेंट, डिजाइन और ट्रेड मार्क महानियंत्रक	3475	...	11.72	11.72	...	11.42	11.42	...	11.98
10. ट्रेड मार्क रजिस्ट्री/भौगोलिक संकेतन रजिस्ट्री की आधारभूत संरचना का सुदृढीकरण	3475	4.70	...	4.70	3.70	...	3.70	2.93	...
11. पेटेंट कार्यालय का आधुनिकीकरण और सुदृढीकरण	3475	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	35.00	...
12. आर्थिक सलाहकार	3475	...	1.53	1.53	...	1.61	1.61	0.80	1.74
13. बौद्धिक संपत्ति अपीलीय बोर्ड	3475	...	1.00	1.00	...	0.40	0.40	...	1.00
जोड़ - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं		29.70	14.25	43.95	28.70	13.43	42.13	38.73	14.72
14. टैरिफ कमीशन	2852	...	2.28	2.28	...	2.92	2.92	1.00	3.00
15. नमक आयुक्त	2852	...	10.70	10.70	...	10.78	10.78	2.50	12.02
16. केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान	2852	15.00	2.50	17.50	10.00	2.50	12.50	8.00	2.00
17. औद्योगिक शिक्षा, अनुसंधान व प्रशिक्षण	2852	5.00	3.03	8.03	4.90	3.03	7.93	4.50	3.42
18. सीमेंट उद्योग विकास परिषद्	2852	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	5.50
19. भारतीय चर्म विकास कार्यक्रम	2852	64.00	...	64.00	4.00	...	4.00	30.00	...
20. अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी प्रगति केन्द्र	2852	2.00	...	2.00	1.50	...
21. अन्य योजनाएं	2852	...	6.00	6.00	...	6.00	6.00	...	17.39
22. संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन	2852	...	7.30	7.30	...	7.30	7.30	...	7.30
उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय									
23. पिछड़े क्षेत्रों का विकास									
23.01 निवेश संबंधी सब्सिडी	2885	10.00	...	10.00	0.80	...	0.80	0.29	...
23.02 औद्योगिक एककों को परिवहन संबंधी सब्सिडी	2885	94.00	...	94.00	11.46	...
23.03 विकास केन्द्र	2885	54.08	...	54.08	5.00	...
23.04 पूंजी निवेश सब्सिडी	2885	9.20	...	9.20
23.05 विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए पैकेज	2885	5.00	...	5.00	45.00	...
जोड़ औद्योगिक और खनिज पर अन्य परिव्यय		10.00	...	10.00	163.08	...	163.08	61.75	...
24. भारत में निवेश संवर्धन क्रियाकलाप/आई.सी.एवं जे.वी. तथा भारत में एशियाई उद्यम	2852	3.50	...	3.50	3.50	...	3.50	3.50	...
25. औद्योगिक बस्ती उन्नयन/स्कीम	2852	74.00	...	74.00	0.01	...	0.01	60.00	...
26. प्रौद्योगिकी उन्नयन आधुनिकीकरण स्कीम	2852	1.00	...	1.00	0.01	...	0.01	10.50	...

	मुख्य शीर्ष	बजट 2002-2003			संशोधित 2002-2003			बजट 2003-2004		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	
27. राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद	2852	13.50	...	13.50	10.00	...	10.00	8.00	...	8.00
28. भारतीय रबर विनिर्माण संघ	2852	6.25	...	6.25	4.00	...	4.00	3.00	0.10	3.10
29. अनुसंधान अध्ययन	2852	2.10	...	2.10	1.85	...	1.85	0.06	...	0.06
30. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लिये एकमुश्त प्रावधान	2552	28.00	...	28.00	28.00	...	28.00	28.00	...	28.00
कुल जोड़		280.00	86.74	366.74	280.00	85.91	365.91	280.00	103.58	383.58
ग. आयोजना परिव्यय	विकास	बजट	आं.ब.	जोड़	बजट	आं.ब.	जोड़	बजट	आं.ब.	जोड़
	शीर्ष	समर्थन	बा.सं.		समर्थन	बा.सं.		समर्थन	बा.सं.	
1. इंजीनियरिंग उद्योग	12858	20.00	...	20.00	13.00	...	13.00	12.00	...	12.00
2. अन्य उद्योग	12875	191.30	...	191.30	46.22	...	46.22	139.02	...	139.02
3. उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	12885	10.00	...	10.00	163.08	...	163.08	61.75	...	61.75
4. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	13451	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	0.50	...	0.50
5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	29.70	...	29.70	28.70	...	28.70	38.73	...	38.73
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	28.00	...	28.00	28.00	...	28.00	28.00	...	28.00
जोड़		280.00	...	280.00	280.00	...	280.00	280.00	...	280.00

1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं: इसमें विभाग के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान है।

2. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद: इसमें इस संगठन, जिसकी स्थापना 1958 में उत्पादकता के प्रति जागरूकता पैदा करने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, गोष्ठियों, उत्पादकता सर्वेक्षण, अनुप्रयुक्त अनुसंधान, आदि के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए उत्पादकता सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी, के लिए अनुदानों की व्यवस्था की गई है।

3. राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान: इसकी स्थापना, उद्योग में डिजाइन के प्रति जागरूकता पैदा करने और मिट्टी की बनी वस्तुओं के डिजाइन, उत्पाद डिजाइन, वेशभूषा डिजाइन और इर्गोनोमिक्स और दृश्य संचार जैसे औद्योगिक डिजाइनों में प्रशिक्षण, अनुसंधान और सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई है। बजट में संस्थान के लिए सहायता-अनुदान की व्यवस्था है।

4. भारतीय गुणवत्ता परिषद: भारतीय गुणवत्ता परिषद एक पंजीकृत सोसाइटी है जिसका उद्देश्य भारतीय उद्योग के प्रतिस्पर्धात्मक लाभों और इसके निर्यात-निष्पादन, गुणवत्ता और उत्पादकता पर ध्यान केन्द्रित कर सुधार लाना है।

5. आटोमोटिव उद्योग का अनुसंधान और विकास: भारतीय आटोमोटिव अनुसंधान संघ, आटोमोटिव इंजीनियरी उद्योग में अनुसंधान, विकास और उत्पादों के परीक्षण हेतु व्यवस्था की गई है जिसमें ये शामिल हैं (i) उत्पाद-अभिकल्प और विकास; (ii) चालन क्षमता, सड़क पर प्रयोग किए जाने की क्षमता और ईंधन संबंधी कार्यक्षमता हेतु आटोमोटिव उपस्करों तथा सहायक उपस्करों का मूल्यांकन; और (iii) मानकीकरण और तकनीकी सूचना सेवाएं।

6. अन्य कार्यक्रम: इसमें भारतीय रबर विनिर्माता अनुसंधान संघ (आई.आर.एम. आर.ए.) के व्यय, अन्य व्ययों, राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद और बॉयलर के सर्वेक्षण के लिए प्रावधान शामिल है।

7. एशियाई उत्पादकता संगठन: इसमें एशियाई उत्पादकता संगठन में भारत की सदस्यता के लिए अंशदान के लिए व्यवस्था की गई है।

अन्य प्रशासनिक सेवाएं

8. विस्फोटक पदार्थ संगठन: इसमें संगठन के स्थापना व्यय की व्यवस्था की गई है। जो भारतीय विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1884, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 तथा ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम 1952 और उनके अन्तर्गत बनाए गए तत्संबंधी नियमों का प्रशासन करता है। यह स्थापना सभी प्राधिकरणों को इन अधिनियमों के अन्तर्गत आने वाले सभी मामलों पर परामर्श देता है, और पुलिस, हवाई पत्तन सुरक्षा, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों आदि को विस्फोटक पदार्थों तथा भ्रामक युक्तियों का पता लगाने के विषय में गहन प्रशिक्षण देता है। यह सुरक्षात्मक प्रबन्धों में सुधार लाने के लिए विशेष मानक तैयार करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के साथ समन्वय भी करता है।

अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

9, 10 और 11. पेटेन्ट, डिजाइन और व्यापार चिन्ह महानियंत्रक आदि, ट्रेड मार्क रजिस्ट्री/भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री के बुनियादी ढांचे का सुदृढीकरण,

पेटेन्ट कार्यालय का आधुनिकीकरण व सुदृढीकरण: यह कार्यालय, पेटेन्ट अधिनियम, 1970 डिजाइन अधिनियम, 1911, व्यापार और पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम, 1958 और पेटेन्ट सूचना सेवा आदि को प्रशासित करता है।

12. आर्थिक सलाहकार: यह कार्यालय (i) आर्थिक नीतियों के सभी मामलों पर सलाह प्रदान करता है, (ii) औद्योगिक उत्पादन और क्षमता उपयोग की प्रवृत्तियों का परीक्षण करता है, औद्योगिक और आयात नीतियों के निर्माण में सहायता करता है, (iii) औद्योगिक क्षेत्र और विशिष्ट उद्योगों के संदर्भ में ऋण नीति, ऋण आयोजना और इसकी उपलब्धता से संबंधित मामलों का परीक्षण करता है, (iv) उद्योग के लिए वित्तीय प्रस्तावों और शुल्क/उगाहियों का विश्लेषण करता है, (v) औद्योगिक क्षेत्र से सम्बन्धित अनुसंधान कार्यों का समन्वयन करता है, (vi) भारत में थोक मूल्यों के सूचकांकों का संकलन और विश्लेषण करता है।

13. बौद्धिक सम्पदा अपीलीय बोर्ड (आई.पी.ए.बी.): रजिस्ट्रार, ट्रेड मार्क के निर्णय के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए बौद्धिक सम्पदा अपीलीय बोर्ड की स्थापना की जा रही है। बौद्धिक सम्पत्ति अपीलीय बोर्ड ने उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का स्थान लिया है। बौद्धिक सम्पत्ति अपीलीय बोर्ड के तहत की गई बजट व्यवस्था वेतन तथा बोर्ड के स्थापना संबंधी अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए है।

14. टैरिफ आयोग: भारत सरकार द्वारा 1997 में स्थापित नए आयोग पर किए गए स्थापना व्ययों को वहन करने के लिए।

15. नमक आयुक्त: यह संगठन केन्द्रीय नमक उपकर अधिनियम, 1953 और उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों का प्रशासन करने के लिए उत्तरदायी है। यह नमक और आयोडीन युक्त नमक के उत्पादन तथा युक्तिसंगत वितरण को भी विनियमित करता है। बजट में संगठन के स्थापना प्रभारों और विकास कार्यों के संबंध में व्यवस्था की गई है।

16. केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान: केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलूर नए डिजाइन और नियंत्रण प्रणालियों के विकास द्वारा इंजीनियरी उद्योगों को तकनीकी सहायता प्रदान करने वाला मशीनी औजार उद्योग के लिए प्रमुख अनुसंधान और विकास संगठन है। यह संस्थान प्रोटोटाइप्स का मूल्यांकन और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी-परीक्षण, धातु कटाई और उत्पादन प्रौद्योगिकी के संबंध में विकास के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करता है। यह उद्योग को सी.ए.डी./सी.ए.एम. सेवा प्रशिक्षण सहित प्रशिक्षण और तकनीकी सूचना उपलब्ध कराता है। बजट में संस्थान के लिए सहायता अनुदान की व्यवस्था की गई है।

17. औद्योगिक शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण: इसके अन्तर्गत केन्द्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान और कागज, लुगदी और सम्बद्ध उद्योगों के लिए विकास परिषद को दिए जाने वाले अनुदान शामिल है।

18. सीमेंट उद्योग संबंधी विकास परिषद: यह संस्था सीमेंट उद्योग के लिए अनुसंधान और विकास परियोजनाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु सहायता उपलब्ध कराती है।

19. भारतीय चर्म विकास कार्यक्रम: "भारतीय चर्म विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी)" नामक योजना स्कीम नौवीं योजना से चल रही है। इस स्कीम के

मुख्य उद्देश्य हैं: चर्म उद्योग के एकीकृत विकास के लिए आधारभूत संरचना में अत्यधिक अन्तरालों को दूर करना, उत्पादकता बढ़ाने के लिए उद्योग में देखे गए अन्तरालों को दूर करने की दिशा में राष्ट्रीय एजेंसियों को सक्रिय बनाना, मूल्य वर्धन और रोजगार, चर्म उद्योग के लिए निवेश/व्यापार विकास क्रियाकलाप चलाना और एक सूचना आधार तैयार करना।

20. अन्तर्राष्ट्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी प्रगति केन्द्र: इस केन्द्र का मुख्य उद्देश्य विनिर्माण प्रौद्योगिकियों और तकनीकों में प्रगतियों के संवर्धन एवं हस्तान्तरण के द्वारा विनिर्माण, उत्पादकता, माल की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्द्धा में विकासशील देशों के प्रौद्योगिकी निष्पादन को बढ़ाना है।

21. अन्य स्कीमों: निवेश संवर्धन क्रियाकलाप और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा संयुक्त उद्यम के लिये प्रावधान।

22. संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन: संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन को अंशदान देने के लिये प्रावधान किया गया है।

उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय

23. पिछड़े क्षेत्रों का विकास

23.01 निवेश सब्सिडी: यद्यपि यह स्कीम 1988 में समाप्त की गई थी परन्तु दसवीं योजना के दौरान इसके लिये प्रावधान आवश्यक है क्योंकि उच्चतम न्यायालय के 1995 के आदेश के अनुसार पात्र यूनिटों को भुगतान किया जाना है।

23.02 औद्योगिक इकाईयों को परिवहन सब्सिडी: इसमें औद्योगिक इकाईयों को परिवहन सब्सिडी दी जाती है।

23.03 वृद्धि केन्द्र : इसमें वृद्धि केन्द्रों के लिए राशि उपलब्ध कराई जाती है।

23.04 पूंजी निवेश सम्बन्धी सब्सिडी - पूर्वोत्तर क्षेत्र की पूंजी निवेश योजना हेतु सब्सिडी प्रावधान।

23.05 विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए पैकेज: इसमें जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए औद्योगिक नीति में विहित विभिन्न स्कीमों के वित्तपोषण की व्यवस्था है।

23.06 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विस्तृत बीमा स्कीम: इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में 24.12.1997 के बाद स्थापित और अग्निमशमन नीति¹ में शामिल की गई (अखिल

भारतीय अग्निमशमन टैरिफ के अनुसार) औद्योगिक इकाईयों के लिए व्यापक बीमा की व्यवस्था की जाती है। स्कीम के तहत 10 वर्ष की अवधि के लिए पूर्ण प्रीमियम सरकार द्वारा साधारण बीमा निगम लि. के माध्यम से प्रतिपूर्ति आधार पर वहन किया जाएगा।

24. भारत में निवेश संवर्धन क्रिया कलाप/आईसी एवं जेवी तथा एशिया उद्यम: भारत में निवेश संवर्धन क्रिया कलाप/आईसी एवं जेवी तथा एशिया उद्यमों के लिए प्रावधान करता है।

25. औद्योगिक बस्ती स्कीम उन्नयन: इस स्कीम को इसकी अन्तर्निहित शक्ति का निर्माण करके तीव्रकृत एवं निरन्तर औद्योगिक विकास में सहायता की दृष्टि से तैयार किया गया है। यह एक केन्द्रीय स्कीम है और दसवीं योजनावधि दौरान 60 बस्तियों को विकसित करने का प्रस्ताव है। प्रत्येक बस्ती में 50 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।

26. प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम: आधुनिक प्रौद्योगिकी प्राप्त करने में उद्योग को सहायता पहुंचाने और बढ़ती हुई भूमंडलीय अर्थव्यवस्था में इसकी प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने के लिए यह एक नयी स्कीम तैयार की गयी है। इस स्कीम के अन्तर्गत लघु उद्योग यूनिट और वस्त्र क्षेत्र के यूनिटों को छोड़कर विद्यमान यूनिटों को एकमुश्त पूंजी सब्सिडी/व्याज सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वह प्रौद्योगिकी का उन्नयन कर सकें और विश्व व्यापार संगठन तंत्र के अधीन चुनौतियों का सामना कर सकें।

27 और 28. राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद; भारतीय रबर विनिर्माण संघ: यह प्रावधान राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद एवं भारतीय रबर विनिर्माण अनुसंधान संघ के लिए अनुदानों हेतु किया गया है।

29. अनुसंधान अध्ययन: यह आर्थिक सलाहकार के कार्यालय, टैरिफ आयोग एवं बायलर के सम्बन्ध में अनुसंधान अध्ययनों हेतु प्रावधान करता है।

30. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान: सरकार के अनुदेशों के अनुसार केन्द्रीय योजना आवंटन का 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभों और स्कीमों की परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया जाना है।